सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Senior Laboratory Assistant- Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Senior Laboratory Assistant is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

(S. Ajeetha Begum)
Assistant Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/01/2009/Estt/RRs/A-5/(FSc) -SLA Dated: 16 08.2019

Internal:

(i) A-1 Sub-Section : For taking necessary action to fill up the vacant post

(ii) B-2 Sub-Section : For taking necessary action to fill up the vacant post

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 7—जुलाई 13, 2019, शनिवार/आषाढ़ 16—आषाढ़ 22, 1941

No. 28] NEW DELHI, JULY 7—JULY 13, 2019, SATURDAY/ASADHA 16— ASADHA 22, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

सा.का.नि.197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (i) संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर्ती नियम, 2018 है।

   (ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक।	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –4 (25500–81100/–)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** – आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) **टिप्पण 2** – रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक — 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। 2. किसी विश्वविद्यालय या महाविधालय या अनुसंधान संस्थान या राज्य सरकार या केंद्रीय 3. सरकार या सरकारी उपक्रम या सरकारी उद्यम या प्रतिष्ठित निजी उद्योग या संगठन में प्रयोगशाला उपकरण के रखरखाव तथा प्रयोगशाला प्रयोगों को क्रियान्वित करने में दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** — फोरेंसिक निपुणताओं से संबंधित विविध तकनीकों के शिक्षण में अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं — हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के नहीं होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति — वेतन मैट्रिक्स में स्तर—3 (21700—69100 / —) में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण—1** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह — 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी —** 1. उप निदेशक — अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी —II या श्रेणी III— सदस्य	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति – केंद्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो :– **क)** i) मूल काडर या विभाग में सदृश्य पद धारण करते हों ; या ii) कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (फोरेन्सिक विज्ञान) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर –3 (21700–69100 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और **ख)** स्तंभ–7 में उल्लिखित अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण – 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण – 2** प्रतिनियुक्ति कि अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण – 3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु –सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011 / 42 / 2018–पीटी]
अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd July, 2019

G.S.R.197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Senior Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Laboratory Assistant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Senior Laboratory Assistant, Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. **Disqualification.—**No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Laboratory Assistant	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.–** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep. **Note 2.–** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. B.Sc. with Physics and Chemistry as compulsory subjects from a recognised University. 2. Two years experience in handling laboratory equipment and carrying out laboratory experiments in any University or College or Research Institute or State Government or Central Government or Government Undertakings or PSUs or Reputed Private Industry or Organization. **Desirable:** Experience in teaching various techniques relating to forensic skills.	Age: No. Educational Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation, failing both by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Laboratory Assistant with five years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs. 21,700- 69,100/-), Note-1: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from among Central or State Governments:- (a) (i) holding analogous post in parent cadre or department; or (ii) Junior Laboratory Assistant (Forensic Science) with five years' regular service in level-3 in the pay matrix (Rs. 21,700- 69,100/-); and (b) possessing the qualifications mentioned under Column (7). **Note1.–** : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :–** (1) Deputy Director – Chairman; (2) Assistant Director - Member; (3) Administrative Officer Grade-II or Grade-III - Member.	Not applicable.

promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.–** : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3.–** The maximum age limit for appointment for deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date, of the receipt of applications.		

[F. No. 23011/42/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 198.– राष्ट्रपति संविधान की धारा 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (मेट्रॉन) भर्ती नियम 1983 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह –'ख' (योधक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम 2010 के अधिक्रमण में जहां तक कि वे गैर योधक विंग में सहायक मेट्रॉन/प्रभारी सिस्टर से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मेट्रॉन और सहायक मेट्रॉन के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मेट्रॉन समूह–'क' पद भर्ती नियम 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .–** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा जो इन नियमों से आबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं इत्यादि .–** उक्त भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता .–**वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .–** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.–** इन नियमों की कोई भी बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।